यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री अंशुमान अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं आशीष पाण्डेय व.ले.प. द्वारा दिनांक 09.07.2020 से 14.07.2020 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह एवं श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 06.05.2019 से 15.05.2019 तक श्री राज कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	**अर्जित राजस्व (₹ लाख मे)**
2017-18	763731
2018-19	879641
2019-20	928214

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	**Plan**		**Non plan**		**अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	-	87506000	74007440	13498560	-
2018-19	-	-	112507000	80422651	32084349	-
2019-20	-	-	42753000	33475496	9277504	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई C श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), उत्तराखण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: ------ विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: अगस्त/2019 (व्यय) को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व का लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-01 मनोरंजन कर का बकाया ₹ 0.69 करोड़ वसूल न किया जाना।

प्रस्तर-02 ₹933.41 लाख अर्थदण्ड की वसूली लंबित रहना।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर-03 व्यय के अनुमानों का अधिक निर्धारित किया जाना।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-01 मनोरंजन कर का बकाया ₹ 0.69 करोड़ वसूल न किया जाना।

दिनांक 01 जुलाई 2017 को GST लागू होने के साथ ही मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो गया एवं राज्य के मनोरंजन कर विभाग का राज्य कर विभाग में विलय हो गया। तथापि, 30 जून 2017 तक के बकाया मनोरंजन कर को वसूल करके मनोरंजन कर के उचित लेखाशीर्ष 0045-00-101-0100 में जमा किया जाना शेष था। उक्त बकाया जमा करने का दायित्व राज्य कर विभाग का था।

कार्यालय, आयुक्त राज्य कर, उत्तराखंड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 जून 2017 से पूर्व का ₹ 1.42 करोड़ मनोरंजन कर के मद में बकाया था। जीएसटी लागू होने के पश्चात फरवरी 2020 तक ₹ 0.73 करोड़ कर दाताओं द्वारा जमा कर दिया गया तथापि, ₹ 0.69 करोड़ बकाया जमा करना शेष था। चार प्रभागों (हरिद्वार, ऋषिकेश,रूद्रपुर एवं काशीपुर) में ₹ 0.61 करोड़ में से कोई भी बकाया जमा नहीं किया गया।

इस संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि इस विषय में संबन्धित कार्यालयों को वसूली के निर्देश दिये गए हैं तथा वसूली की कार्यवाही गतिमान है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के पश्चात भी वसूली की कार्यवाही तीव्र गति से नहीं हो रही है क्योंकि कुल बकाया ₹ 0.69 करोड़ में से चार प्रभागों का अधिकांश बकाया ₹ 0.61 करोड़ है जिसमें जी एस टी लागू होने के पश्चात कुछ भी वसूली नहीं हुई है जो वसूली के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

अत: 30 जून 2017 से पूर्व राज्य के मनोरंजन कर मद में ₹ 0.69 करोड़ वर्तमान तिथि तक बकाया होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-02 ₹933.41 लाख अर्थदण्ड की वसूली लंबित रहना।

ब्योहारियों के पंजीयनों की स्थलीय जांच एवं विवरणी दाखिल न करने वाली अस्तित्वहीन फर्म अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त किए पंजीयन के (वर्ष 2019-20 के) संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार निरस्त किए गए पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा धारा-125 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 11661 नोटिस प्रेषित किया गया। जिसमें से 5506 प्रकरणों में आदेश पारित करते हुए कुल ₹ 940.95 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया एवं उक्त अर्थदण्ड में से ₹ 7.54 लाख का अर्थदण्ड जमा कराया गया है। इस प्रकार ₹ 933.41 लाख (₹ 940.95 लाख - ₹ 7.54 लाख) की अर्थदण्ड की धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त से संबन्धित सूचना समस्त पाँच कार्यालयों से प्राप्त कर उपलब्ध करा दी जाएगी।

(व्यय की लेखापरीक्षा)

<u>भाग- 2 (ब)</u>

प्रस्तर-03 व्यय के अनुमानों का अधिक निर्धारित किया जाना।

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या 28 के अनुसार व्यय की प्रत्येक मद हेतु आवश्यक धनराशि के अनुमानों की ठीक से जांच करनी चाहिए एवं आगणन करने वाले प्रत्येक अधिकारी को यह ठीक से जानना चाहिए कि परिहार्य आधिक्य Provision भी एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता होती है।

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में ₹ 128.18 करोड़ आवंटन के सापेक्ष ₹ 97.30 करोड़ ही व्यय किया जा सका, जिसके कारण ₹ 30.88 करोड़ का समर्पण करना पड़ा। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विभाग ने क्रमश: ₹ 8.01 करोड़ एवं ₹ 29.18 करोड़ की धनराशि समर्पित की थी, इससे स्पष्ट है कि व्यय का अनुमान लगातार पिछले तीन वर्षों में विभाग द्वारा अधिक किया गया था जिसके कारण बचत हुई। वर्ष 2019-20 में 24.18% भाग समर्पण करने से स्पष्ट है कि आधिक्य Provision परिहार्य था जिससे बचा जाना चाहिए।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त का उत्तर अतिशीघ्र प्रेषित कर दिया जाएगा।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-III 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-III 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
RS/CT-03/2019-20	-	01,02,03,04,05	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय (आहरण एवं संवितरण अधिकारी), उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	सुश्री राजेश्वरी	सहायक आयुक्त

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-IV